सोहनलाल बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 84/2025
25.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
84 / 2025	2025 / 209	02.06.2025	25.06.2025

उनवान प्रकरण

1. सोहन लाल सैनी पुत्र सुरजा आयु 32 साल जाति माली निवासी ग्राम कोलवा (मुण्डरू) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में [illegible] वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादी भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 3.35

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर, 537 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.72 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्सा मे वादी का नाम महेन्द्र पुत्र सुरजा दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम सोहन लाल सैनी है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक रिकार्ड, बैंक पासबुक आदि मे वादी का नाम सोहन लाल सैनी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी को घर पर बोलते नाम महेन्द्र पुकारने के कारण विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वादी का नाम महेन्द्र दर्ज कर दिया एंव जिस समय वादी के पिता की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया। उस समय वादी की उम्र मात्र 3–4 वर्ष थी एंव वादी का वास्तविक नाम सोहन लाल सैनी ही है। उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण वादी को घर पर बोलते नाम महेन्द्र दर्ज कर दिया गया। जिससे वादी को सख्त हकतलफी है एंव वादी को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। इसलिए वादी का नाम खातेदारी में महेन्द्र के स्थान पर सोहन लाल सैनी घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादी के परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम सोहन उर्फ महेन्द्र दोनों नाम अंकित है। उक्त दोनों नामों का एक ही व्यक्ति वादी ही है तथा अन्य कोई नहीं है तथा वादी के पिता सुरजा के महेन्द्र व सुरजा दो अलग–अलग पुत्र संतान नहीं होकर एक ही पुत्र सोहनलाल ही है। वादी ने भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उक्त दुरूस्ती कराने हेतु कहां तो दिनांक 20.02.2025 को इन्कार हो गये एंव न्यायालय में दावा पेशकर आदेश लाने की कही जाने पर यह दुरूस्ती का दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड इस अमर की पारित की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 3.35 हैक्टर, 537 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.72 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्सा में महेन्द्र पुत्र सुरजा के [illegible] वादी का नाम सोहन लाल सैनी पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

सुरजा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावें एवं इसी अनुसार दुरूस्ती हेतु भूमिधारी को दिये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वादपत्र को जॉच हेतु मूल ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया। जिस पर वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1387/भू.अ./2025 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने वाद पत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबंदी, 2055–2058, 2059–2062, 2063–2066, 2067–2070, 2071–2074, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की उच्च माध्यमिक परीक्षा का प्रमाणपत्र अंकतालिका सहित, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पास बुक, शपथ पत्र वादी, पटवारी हल्का सिमारला जागीर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 3.35 हैक्टर व खसरा नम्बर 537 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.72 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्से में [illegible] पुत्र सुरजा दर्ज होना तथा उक्त नाम प्रार्थी के पिता सुरजा के [illegible] नामान्तकरण संख्या 164 दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी [illegible] पुत्र सुरजा दर्ज किया जाना प्रकट होता है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात् यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रमाण पत्र सहित, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, बैंक पास बुक मे वादी का नाम सोहन लाल सैनी पुत्र सुरजा अंकित होना प्रकट होता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी जाँच रिपोर्ट में महेन्द्र पुत्र सुरजा व सोहन पुत्र सुरजा एक व्यक्ति के ही नाम होना अंकित किया है। वादी का सही नाम सोहन लाल पुत्र सुरजा नाम होना रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा परस्तुत वादपत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर वादी का नाम महेन्द्र पुत्र सुरजा के स्थान पर सोहन लाल सैनी पुत्र सुरजा शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 3.35 हैक्टर, 537 रकबा 0.37 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.72 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्सा में महेन्द्र पुत्र सुरजा के नाम दर्ज भूमि में वादी का नाम सोहन लाल सैनी उर्फ महेन्द्र पुत्र सुरजा घोषित किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested